


भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 254] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 28, 1978/भाद्र 6, 1900
No. 254] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 28, 1978/BHADRA 6, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

विदेश मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अगस्त, 1978

सा. का. नि. 432(अ).—केंद्रीय सरकार, प्रत्यर्पण अधिनियम, 1962 (1962 का 34)
की धारा 2 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित राष्ट्र-
मण्डल देश को, 1 सितम्बर, 1978 से उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची में जोड़ती है,
अर्थात् :—

“पपुआ न्यू गिनी”।

[फा. सं. एस./102/35/78]

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th August, 1978

G.S.R. 432(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of Section 2 of the Extradition Act, 1962 (34 of 1962), the Central Government hereby adds, with effect from the 1st day of September, 1978, the following commonwealth country to the First Schedule to the said Act, namely :—

“Papua New Guinea.”

[F. No. S/102/35/76]

आदेश

सा. का. नि. 433(अ).—केंद्रीय सरकार, प्रत्यर्पण अधिनियम, 1962 (1962 का 34) की धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि उक्त अधिनियम के उपबंध, अध्याय 3 को छोड़कर, 1 सितम्बर, 1978 से पपुआ न्यू गिनी को लागू होंगे।

[फा. सं. एस/102/35/76]

सत्यपाल जगोता, संयुक्त सचिव और विधि सलाहकार

ORDER

G.S.R. 433(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (i) of section 3 of the Extradition Act, 1962 (34 of 1962), the Central Government hereby directs that the provisions of the said Act, other than Chapter III, shall apply to Papua New Guinea with effect from the 1st day of September, 1978.

[F. N. S/102/35/76]

S. T. JAGOTA, Jt. Secy. & Legal Adviser.